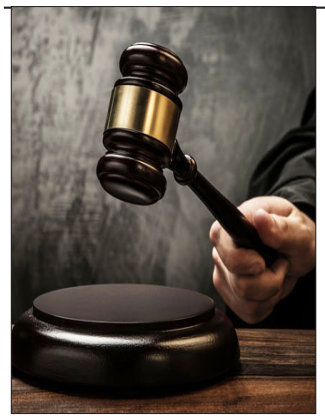

दिल्ली, नोएडा, साहिबाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी, मेरठ, हापुड़ से एक साथ प्रसारित

विशेष खबर

हर खबर की रखें खबर

विशेष खबर visheshkhabar

•वर्ष: •4 अंक: 48

पृष्ठ : 8

गाजियाबाद

10 मई, 2021

मूल्य: 10 रूपये

हिन्दी समाचार पत्र

visheshkhabarvk@gmail.com

RNI:UPHIN/2017/74151

विनीतकांत पाराशर

सॉरी मीलार्ड

न्यायपालिका की अति सक्रियता के लिए साधुवाद

राज्यों की इस अराजकता पर भी संज्ञान ले लेते

नई दिल्ली। इन दिनों कोविड के प्रकोप के साथ देश में अदालती कहर भर भी सरकार का दम निकालने पर तुला है। कोरोना की बीमारी से तो लोग ठीक भी हो रहे हैं लेकिन देश की सुप्रीम अदालत अगर सरकार के खिलाफ फैंसला सुना दें तो उसकी सुनवाई कहां होगी। पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन, वैंटीलेटर, वैक्सीन तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े केन्द्र व राज्यों के विवादित मुद्दो पर एक के बाद एक कई फैंसले दिए हैं।

कुछ अदालतों के न्यायाधीश तो सरकार के खिलाफ भद्दी और तल्ख टिपण्णी तक कर रहे हैं.. खासकर एक मामलें में जस्टिस सांघी की टिपण्णी का जिक्र करना जरूरी है जिसमें उन्होंने सरकार से कहा था --भीख मांगो, उधार लो या चोरी करो --

मान लीजिए मै देश का एक आम नागरिक हूं। देश की न्यायपालिका मुझे न्याय देने के लिए ही है ना। तो मुझे देश की न्यायपालिका से ससम्मान कुछ सवाल करने और अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है।

इस लेख के माध्यम से मैं देश के माननीय जजों से आम आदमी के मन में उमड़ रहे सवाल और कुछ अहम सवाल रखना चाहता हूँ -मसलन चुनाव आयोग को मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना का दोषी और लोगों का हत्यारा कहा था, जब आयोग ने सबसे बड़ी अदालत के सामने इस टिपण्णी पर ऐतराज जताया तो सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने इसे कड़वी दवा बता कर सही ठहरा दिया।

मद्रास हाई कोर्ट को सही ठहराते हुए मीलार्ड एक बात भूल गए कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ना कि कोई बड़भूजे की दुकान -मद्रास हाई कोर्ट स्वयं भी पूरे चुनाव प्रचार में चुप बैठा रहा, साफ है इस चुप्पी के लिए वह खुद भी दोषी है।

एक मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि 4 दिन में ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करो, 15 दिन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार हो और किसी अस्पताल में आधार कार्ड के बिना मरीज के दाखिल करने पर मनाही ना हो।

मीलार्ड से सवाल है कि अस्पतालों में मरीज भर्ती करने के लिए राज्य भी कुछ करेंगे या नहीं?

इतने शीघ्र आदेशों के पालन कराने के हुकुम देते हुए माननीय मीलार्ड को ये भी विचार करना चाहिए कि कितने-कितने सालों से अदालतों में मुकदमे लंबित पड़े हैं।

और फिर राष्ट्रीय नीति पर अगर राज्य सरकारें अमल नहीं करेंगी तब क्या होगा - कुछ उदाहरण देता हूँ जिनमे राज्यों ने राष्ट्रीय नीति को कचरे के डिब्बे में डालकर क्या गुल खिलाये हैं --

- आयुष्मान भारत योजना गरीबों को 5 लाख का इलाज देने वाली योजना 2018 में केंद्र ने शुरू की, दिल्ली ने इसे मार्च, 2020 में लागू किया, बंगाल, ओडिशा और तेलंगना ने लागू ही नहीं की। क्या इन राज्यों में आप इसे लागू करवाएंग?
- संसद से पारित सीएए कानून को लागू करने के लिए 7 राज्यों ने मना कर दिया और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। क्या संसद के कानून का राज्य ऐसे मखौल उड़ा सकते हैं?
- कृषि कानून भी संसद ने पारित किये गए थे जिनके खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत कथित किसानों को 180 दिनों से सड़कों पर बैठ कर सबको परेशान करने की अनुमति दिए हुए है, 26 जनवरी को उनका हिंसक तांडव देखते रहे और अब उन्हें गैर कानूनी पक्के घर बनाने के लिए इजाजत दे रही हैं।
- देश के 8 राज्यों ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबाआई के लिए अपने दरवाजे बंद किये हुए हैं और उनकी इस हरकत को आपकी अदालत ने सही करार दिया हुआ है। क्या इससे खुलकर भ्रष्टाचार करने को बढावा नहीं मिलेगा।

- आज सुप्रीम कोर्ट समेत कई हाई कोर्ट कोरोना को लेकर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहे हैं मगर कोलकत्ता हाई कोर्ट बंगाल चुनाव परिणाम के बाद कई तक हुई हिंसा के तांडव को खामोशी से देखती रही ।

मीलार्ड आपका कोर्ट भी पिछले 5 साल से बंगाल में एक राजनीतिक दल, एक धर्म विशेष के लोगों की हत्या होते वहां की सरकार के हिंसक तांडव को आँखे बंद करके देखता रहा, लेकिन कभी आपने स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं की लेकिन गलती से हाल की घटनाओं के बाद यदि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाता तो आप ही इसे लोकतंत्र की हत्या और संविधान पर खतरा जैसी तोहमत लगा देते।

- मीलार्ड रेरा कानून 2016 में संसद ने पास किया लेकिन ममता ने बंगाल में अभी तक लागू नहीं किया। हांलाकि अब आपने आदेश दिया है उसे बंगाल में लागू करने के लिए लेकिन अनेक राज्यों ने भी तो इसे अभी तक लागू नहीं किया है।

मीलार्ड आम आदमी के सवालों की फेहरिस्त तो बहुत बडी है लेकिन हम तो आपसे बस यही अनुरोध करें-गे कि कोरोना एक आपदा है जिसकी तैयारी दुनिया के किसी भी मुल्क ने नहीं की थी। ये एक ऐसा युद्ध है जिससे लड़ने के लिए अदालतों को सरकार से सहयोग करना चाहिए उसे अपना मार्गदर्शन देना चाहिए ।

(यह लेखक के निजी विचार नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर प्रसारित लेखों पर आधारित संक्षिप्त विषय वस्तु है।)